(55)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा

क्रमांकःजिशिअ/मा/कोटां/संस्था–1/नियु.प्रशास–III/2017/1733 दिनांकः 12.2.2018

कार्यालय–आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III पद हेतु भर्ती परीक्षा 2016 में अभिस्तावित निम्नांकित अभ्यार्थियों को श्रीमान् निदेशक महो0 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के शिविरा–माध्य/ संस्था/एफ–1/12102/प्रशासहा.ग्रेड III/सी.भ./2016 दिनांक 7.2.2018 के द्वारा **प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III** के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित चयनित अभ्यार्थियों को **प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III** के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार **लेवल 8** में प्रोबेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय **18500/–** (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 9.6.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक प. 17(8)शिक्षा–2/2015 दिनांक 19.12.17 में अंकित बिन्दु संख्या 2(ए से एच) के अनुसार परामर्श शिविर आयाजित कर की गयी है।

कस	रोल न0	वरी0 क0	नाम अभ्यार्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	570300	1090	शालिनी भारद्वाज	सूर्यकान्त भारद्वाज	13.11.1998	GEN	GENF	राबाउमावि दादाबाडी कोटा
2	558682	1348	समीक्षा जैन	अजीत कुमार जैन	25.08.1992	GEN	GENF	राबाउमावि नयापुराबागकोटा
3	510051	1386	अनीता कुमारी साहू	बनवारी लाल साहू	02.01.1994	OBC	GENF	राबाउमावि कैथून कोटा
4	600430	1452	शीतल नागर	सत्यनारायण	12.07.1997	OBC	GENF	राबाउमवि सॉगोद कोटा
5	433444	2008	रेणु सुमन	भवानी लाल सैनी	09.08.1997	OBC	OBCF	राउमावि सॉगोद कोटा
6	563758	148	मनोज शर्मा	सॉवरमल शर्मा	25.07.1982	GEN	GENM	राउमावि सुल्तानपुर कोटा
7	554765	362	पंकज मित्तल	ओमप्रकाश मित्तल	01.11.1994	GEN	GENM	राउमावि सुल्तानपुर कोटा
8	513172	379	अंजनी कुमार साहू	दौलतराम साहू	01.07.1994	OBC	GENM	राउमावि सॉगोद कोटा
9	554525	422	अजेन्द्र सिंह हाडा	विक्रम सिंह हाडा	03.06.1993	GEN	GENM	राउमावि मोरपा कोटा
10	442795	630	भॅवर सिंह हाडा	अक्षयराज सिंह हाडा	21.02.1982	GEN	GENM	राबाउमावि चेचट कोटा
11	527938	632	अतुल कुमार राठौर	तेजमल राठौर	03.11.1989	OBC	GENM	राउमावि मोडकगॉव कोटा
12	508838	678	नरपत सिंह	सूरत सिंह	15.11.1997	GEN	GENM	राउमावि सातलखेडी कोटा
13	500482	709	गौरव अग्रवाल	गजानन्द अग्रवाल	19.10.1995	GEN	GENM	राउमावि मोडकगॉव कोटा
14	583609	727	प्रदीप कुमार	रमेश चन्द	31.12.1989	OBC	GENM	राउमावि बपावरकलॉ कोटा
15	556161	739	नरेन्द्र प्रताप सिंहराठौड	महेन्द्र सिंह राठौड	12.08.1983	GEN	GENM	राउमावि कनवास कोटा
16	460704	881	मोहम्मद जावेद	याकूब मोहम्मद	08.07.1992	OBC	OBCM	राउमावि कनवास कोटा
17	503518	921	नरेन्द्र कुमार अहीर	प्रभूलाल अहीर	02.03.1993	OBC	OBCM	राउमावि मदनपुरिया कोटा
18	402103	955	जगमोहन नागर	भैरूलाल नागर	15.07.1980	OBC	OBCM	राबाउमावि चेचट कोटा
19	472275	2454	दीपक कुमार	प्रभूराम	01.01.1985	SC	SCM	राउमावि देवलीकलॉ कोटा
20	607363	2459	योगेन्द्र मीणा	वत्सराज मीणा	14.01.1991	ST	STM	राउमावि जलोदाखातियान
21	521860	2463	अजय कुमार मीणा	हरिप्रकाश मीणा	02.08.1997	ST	STM	राउमावि ईटावा कोटा
22	445470	2477	जितेन्द्र बैरवा	लटूरलाल	10.11.1987	SC	SCM	राउमावि पीपल्दा कोटा
23	460860	2502	राकेश बैरवा	सूरजमल	07.08.1995	SC	SCM	राउमावि कैथूदा कोटा

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगेः–

नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा , इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी कों नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

1. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गयी शैक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये

लगातार.............................

जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गयी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नहीं पायी गयी तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

2. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही इन्हे कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को सूचना तत्काल भिजवाई जावे।
3. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। परन्तु अभ्यार्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। **उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण कराया जावे।**
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छायाचित्र(फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे की वही अभ्यार्थी नियुक्ति प्राप्त करे जिसका आवेदन पत्र पर छायाचित्र चस्पा है।
5. चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एसबी सिविल याचिका संख्या 8555/2017,11523/2017,10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहते हुये की गयी है।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यार्थी से उनकी पात्रता ,आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जॉच आवश्यक रूप से कर लेवें।
7. **कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यार्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।**
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 4.10.13 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्वता (अण्डरटेकिग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
9. आशार्थी के विधवा/तलाकशुदा महिला होने पर उनसे संबंधित प्रमाण पत्र यथा न्यायालय की डिकी,पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी शपथ पत्र लिये जाने उपरान्त ही कार्यग्रहण करावें।

इन्हें पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 28.2.2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना तुरन्त अपडेट करें।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा

कमांक:जिशिअ/मा/कोटा/संस्था–1/नियु.प्रशास–III/2017/1733
दनांक: 12.2.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2 विभाग राजस्थान जयपुर।
3. उप शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2 विभाग राजस्थान जयपुर।
4. शासन उपसचिव, कार्मिक(क–2)विभाग,राजस्थान,जयपुर
5. सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर
6. निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर
7. निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर
8. उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग कोटा
9. संबंधित संस्थाप्रधान.........................
10. संबंधित आशार्थी ....पंजीकृत डाक द्वारा
11. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा